भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3657
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीवाई के माध्यम से ग्रामीण विकास

3657. श्री बाबू सिंह कुशवाहा:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (पीएमजीवाई) के माध्यम से किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को और मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) महिला सशक्तिकरण के लिए लागू उक्त कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) हरियाली कार्यक्रम के तहत बंजर भूमि विकास और जल संरक्षण परियोजनाओं में अब तक क्या प्रगति हुई है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ग): ग्रामीण विकास मंत्रालय विगत पांच वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना (पीएमजीवाई) नामक किसी योजना/कार्यक्रम/पहल का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है। तथापि, मंत्रालय विभिन्न विकास योजनाएं अर्थात् महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) आदि कार्यान्वित कर रहा है।

मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (13.12.2024 की स्थिति अनुसार) महिलाओं की भागीदारी दर (कुल श्रम-दिवसों में से महिला श्रम-दिवस प्रतिशत में) क्रमशः 54.82%, 57.47%, 58.9% और 57.87% है। पीएमएवाई-जी के तहत 13.12.2024 तक निर्धारित कुल लक्ष्य में से केवल महिला लाभार्थियों के नाम पर 84,20,164 घर और पत्नी और पति के नाम पर संयुक्त रूप से 1,53,63,798 घर, अर्थात कुल स्वीकृत घरों में से 2,37,83,962 (74%) स्वीकृत किए गए हैं । पीएमएवाई-जी के तहत पूर्ण 2,67,97,459 घरों में से 72,65,822 घर पूरी तरह से महिला लाभार्थियों के स्वामित्व में हैं और 1,22,47,493 घर संयुक्त रूप से पत्नी और पति के स्वामित्व में हैं, अर्थात 1,95,13,315 (72.8%) पूर्ण घरों का स्वामित्व पूरी तरह से या संयुक्त रूप से महिला लाभार्थियों के स्वामित्व में है। डीएवाई-एनआरएलएम एक महिला-उन्मुखी योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है। इसने देश में 10.05 करोड़ ग्रामीण परिवारों को 90.87 एसएचजी में संगठित किया है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत 33% महिलाओं का कवरेज अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक (अक्टूबर, 2024 की स्थिति अनुसार) 8.62 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 5.38 लाख महिलाओं को रोजगार मिला है। इसी प्रकार , आरएसईटीआई के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2024-25 तक (अक्टूबर, 2024 की स्थिति अनुसार) 29.99 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 22.37 लाख महिलाओं को नियोजित किया गया है।

पीएमजीएसवाई लाभार्थी उन्मुखी योजना नहीं है। तथापि , ग्रामीण सड़क नेटवर्क की योजना बनाने में महिलाओं को भी शामिल किया जाता है। पीएमजीएसवाई के तहत एक और पहल उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में पीएमजीएसवाई कार्यों के तहत सड़को के किनारों (ऑफ कैरिज वे) के रखरखाव में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना है। इससे महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के अलावा त्वरित प्रतिक्रिया समय और परिसंपत्तियों का स्वामित्व सुनिश्चित होता है।

(ख): देश में पंचायती राज प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए , पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के लिए निरंतर कदम उठाए हैं और समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्र दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों, सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) आदि के माध्यम से उनके प्रदर्शन की समीक्षा करता है।

इस मंत्रालय ने प्रयोक्ता अनुकूल वेब आधारित पोर्टल ई-ग्रामस्वराज (https://egramswaraj.gov.in) भी शुरू किया है जिसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत आयोजना , प्रगति रिपोर्टिंग, वित्तीय प्रबंधन, कार्य-आधारित लेखांकन और सृजित परिसंपत्तियों के ब्यौरे में बेहतर पारदर्शिता लाना है। इसके अलावा , पंचायत खातों अर्थात ग्राम पंचायतों की प्राप्तियों

और व्यय की समय पर लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए , इस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन– ऑडिट ऑनलाइन (https://auditonline.gov.in) शुरू की है। इस एप्लिकेशन से न केवल पंचायत खातों की लेखा परीक्षा होती है बल्कि लेखा परीक्षा अभिलेखों का रखरखाव भी होता है। यह एप्लिकेशन लेखा परीक्षा पूछताछ, स्थानीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट का मसौदा, लेखा परीक्षा पैरा आदि तैयार करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है और इस प्रकार पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए पंचायतों द्वारा खातों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करता है।

इस मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की संशोधित केंद्र प्रायोजित योजना को कार्यान्वित किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को सक्षम बनाना है ताकि नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमता विकसित हो सके, जिससे ग्राम पंचायतें प्रभावी रूप से कार्य कर सकें और जमीनी स्तर पर स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इसके अलावा , यह योजना प्रशिक्षण आवश्यकताओं के मूल्यांकन, लिखित सामग्री, ऑडियो-विजुअल और सामग्री के अन्य प्रारूपों सहित प्रशिक्षण सामग्री के विकास , मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के लिए सम्मुख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम , वर्चुअल मोड में ईआर और पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण हेतु उपग्रह आधारित प्रणाली , योजना के तहत क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सुधार के लिए राज्यों के भीतर और बाहरी ज्ञानवर्धन (एक्सपोजर) दौरों के लिए भी सहायता प्रदान करती है। हाल ही में , मंत्रालय ने बुनियादी स्तर पर प्रभावी ग्रामीण अभिशासन और लोक सेवा प्रदानगी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के कौशल उन्नयन हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेतृत्व विकास पर ध्यान केन्द्रित करते हुए भारतीय प्रबंधन संस्थान, ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) तथा अन्य उत्कृष्ट संस्थानों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम भी शुरू किया है।

(घ): जहाँ तक बंजर भूमि विकास और जल संरक्षण परियोजनाओं का सवाल है , भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) देश में वर्षा सिंचित और बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई) के वाटरशेड विकास घटक को कार्यान्वित करता है। अन्य बातों के साथ-साथ की जाने वाली गतिविधियों में रिज क्षेत्र उपचार, जल निकासी लाइन उपचार , मिट्टी और नमी संरक्षण , वर्षा जल संचयन , नर्सरी उगाना, चारागाह विकास , संपत्तिहीन व्यक्तियों के लिए आजीविका आदि शामिल हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई, इन कार्यकलापों के माध्यम से , बेहतर प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के प्रति किसानों की बेहतर अनुकुलन के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित करना चाहता है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत 6382 परियोजनाओं (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 के दौरान स्वीकृत) के कार्यान्वयन के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 और वर्ष 2021-22 के बीच 7.65 लाख जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है, 16.41 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है और 36.34 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा , लगभग 1.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी आदि) के अंतर्गत लाया गया है , 3.36 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि का उपचार किया गया है और 2018-19 से 2021-22 तक 388.66 लाख श्रम-दिवस सृजित किए गए हैं। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 1.0 परियोजनाओं की अवधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गई।

भारत सरकार ने वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 49.5 लाख हेक्टेयर के वास्तविक लक्ष्य और केंद्र अंश के रूप में 8,134 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय से डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के रूप में कार्यक्रम को जारी रखने को मंजूरी दी है। डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत, भूमि संसाधन विभाग ने अब तक 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) को कुल 12,303.33 करोड़ रुपये (केंद्र अंश: 8022.69 करोड़ रुपये) की लागत से 50.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने वाली 1150 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 की शुरुआत से लेकर अब तक (12.12.2024 तक की स्थिति अनुसार) राज्यों को केंद्रीय अंश के रूप में 4527.92 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

डब्ल्यूडीसी-पीएमकेएसवाई 2.0 के अंतर्गत , वर्ष 2022-23 से वर्ष 2023-24 (तिमाही-2) तक, 1,15,190 जल संचयन संरचनाओं का निर्माण/पुनरुद्धार किया गया है , 1,69,347 हेक्टेयर भूमि को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है , 92,796 हेक्टेयर भूमि को वृक्षारोपण (वनीकरण/बागवानी) के अंतर्गत लाया गया है , 9,86,673 किसान लाभान्वित हुए हैं और 1,61,54,473 श्रम-दिवसों के रोजगार सृजित किए गए हैं।

*****